"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 549] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 नवम्बर 2014— कार्तिक 10, शक 1936

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सूचना

क्रमांक एफ 7-55/2014/32.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत राजनांदगांव विकास योजना 2031 का अनुमोदन करती है. राजनांदगांव विकास योजना, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है.

2. राजनांदगांव विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :-

1. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ. ग.)
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ. ग.)
3. कलेक्टर, राजनांदगांव (छ. ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से राजनांदगांव विकास योजना 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 7-55/2014/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 30th October 2014

NOTICE

No. F 7-55/2014/32.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Rajnandgaon Development Plan-2031 submitted by Directorate Town & Country Planning, Raipur under sub-section (3) of Section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for general information as required by sub-section (4) of Section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Rajnandgaon Development Plan-2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :-

1. Assistant Director, Town & Country Planning, Rajnandgaon (C. G.)
2. Commissioner, Municipal Corporation, Rajnandgaon (C. G.)
3. Collector, Rajnandgaon (C. G.)

3. The Rajnandgaon Development Plan-2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of Section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.